प्रेषक,

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी,
सिद्धार्थनगर

सेवा में,

मुख्य सचिव
प्रशासनिक सुधार
अनुभाग–2
उ0प्र0 शासन, लखनऊ

सं0 /2009–10 दिनांकः

विषयः– **लोक प्राधिकरण (Public Authority) द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (B) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 1141/43–2–2009 लखनऊ दिनांकः 25 जून 2009 के अन्तर्गत निहित निर्देशानुसार लोक प्राधिकरणों को कम्प्यूटरीकृत कार्यालय क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित अधिनियम धारा 4 (1) (बी) के अनुसार 16 श्रेणीओं की सी0डी0 तैयार कर आपकी सेवा में निम्नवत सादर प्रेषित है।

1. अपने संगठन की विशिष्टियाँ एवं कर्तव्य :–

क. राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रणाली पर नियंत्रण करने हेतु जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा परिवेक्षण किया जाता है।

ख. जनपद सिद्धार्थनगर में नियुक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों द्वारा रोगियों की चिकित्सा एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे पल्स पोलियों, नसबन्दी कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका है।

ग. चिकित्सालय प्रातः 8 बजे से अपरान्ह 2 बजे क्रमशः खुलता एवं बन्द होता है। शासन/निदेशक आयुर्वेद द्वारा समय निर्धारित है तथा रोगियों को समुचित चिकित्सा सेवा प्रदान करना है।

घ. फार्मेसिस्टों द्वारा चिकित्साधिकारी द्वारा लिखित रोगी निदान की इन्डेन्ट बनी औषधियॉ वितरित करना अभिलेखों तथा चिकित्सालयों के सामानों का रखरखाव करना है। तथा रोगी लेबी प्राप्ति एवं अंतरंग मरीजों से प्राप्त लेबी का रखरखाव एवं समय से जमा करना है।

ड. सिस्टर/स्टाफ नर्स रोगियों के वस्त्र आदि सामानों का रख–रखाव ससमय रोगियों को औषधी देना है।

च. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भृत्य, चौकीदार, स्वच्छक, स्वच्छककम चौकीदार, कुक, धोबी अपने पदानुरूप कार्य करते है जिनकी पृथक–पृथक ग्रेस निर्धारित है।

छ. चिकित्साधिकारी स्टार्फ नर्स, फार्मेसिस्ट की भी ड्रेस पृथक–पृथक नियत है।

ज. अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिष्ठान व वेतन वितरण पर होने वाला व्यय निदेशक द्वारा आवंटित बजट एवं दस्तावेज का रखरखाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रखा जाता है।

2. **अपने अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यः–**

आयुर्वेद/यूनानी विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा समय–समय पर पारित नियम निर्देशों का पालन किया जाता है और उपरोक्तानुसार पदानुरूप शक्तियाँ और कर्तव्य का पालन सुनिश्चित किया जाता है।

3. **विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है :–**

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में संचालित/स्थापित चिकत्सालयों के आकस्मिक निरीक्षण में अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। ऐसा करने से चिकित्सालयों की लोकप्रियता बढ़ती है। समय–समय पर जिलाधिकारी महोदय या निदेशक आयुर्वेद यूनानी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि मण्डल भी चिकित्सालयों का निरीक्षण करता है।

4. **अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान :–**

शासन/निदेशक द्वारा निर्धारित सरकारी आचरण नियमावली अधिकारी/कर्मचारियों पर लागू होती है। चरित्र प्रविष्टियों के आधार पर वेतन वृद्वि, वैक्तिक वेतनमान नियमानुसार निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

5. **अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख :–**

शासन द्वारा निर्धारित सरकारी आचरण नियमावली पद के अनुरूप निश्चित है। जिसके अनुरूप ही कार्यवाही की जाती है। और समय–समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों के उनके कृत्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये जाते है।

6. **ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियंत्रण मे हैः–**

प्रत्येक चिकित्सालय से सम्बन्धित चिकित्साधिकारी/फार्मेसिस्ट/सिस्टर स्टाफ नर्स अपने अधीन चिकित्सालय रिकार्ड अभिलेख का भी रखरखाव रखते है। तथा उनके व्यक्तिगत अभिलेख आदि का रखरखाव क्षेत्रीय कार्यालय में रखा जाता है।

7. **किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैः–**

लोक सदस्य अपने–अपने क्षेत्रों में ग्रामीण/शहरी चिकित्सालयों के प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जिला नियोजन समिति के समक्ष प्रस्तावित प्रस्ताव में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित करवाते है। और नये चिकित्सालयों की स्थापना पर परिव्यय अनुमोदन/अवमुक्त के बाद चिकित्सालयों की स्थापना की जाती है तथा भवन निर्माण के प्रस्ताव भी अनुमोदित कराकर चिकित्सालय भवन निर्माण करवायें जाते है।

8. **बोर्ड परिषदों/समितियों अन्य निकायों के वितरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति है, जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो और यह वितरण क्या इन बोर्डो, परिषदों, समितियों अन्य निकायों की बैंठक लोगों के लिए खुली अथवा ऐसी बैठक की कार्यवृत लोगों के लिए सुलभ है:–**

समूह क, ख, ग से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए शासन/निदेशक स्तरीय चयन समितियाँ गठित है तथा समूह घ के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु जिला चयन समिति आवश्यकतानुसार गठित कर चयनित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। रोगियों की चिकित्सा हेतु कच्ची आयुर्वेदिक यूनानी औषधियाँ क्रय करने हेतु जिला स्तरीय क्रय समिति का गठन शासन/निदेशक के आदेशानुसार किया गया है। केवल जिला अनुश्रवण समिति में एम0पी0, एम0एल0ए0 जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी के निर्देशानुसार भाग ले सकते है और अपनी योजना या कार्य प्रस्तावित कर सकते है।

9. **अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका :–**

अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी आचरण नियमावली उ0प्र0 लागू है।

10. **अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है:–**

जो अधिकारी/कर्मचारी आयकर के दायरे में होते है उससे नियमानुसार आयकर की कटौती कर सम्बन्धित खाते में जमा किया जाता है वेतन का भुगतान कोषागार चेक द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। मासिक वेतन से जी0पी0एफ कटौती, जी0पी0एफ0 अग्रिम कटौती, जी0आई0एस0 नियमानुसार कटौती की जाती है।

11. **सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट :–**

निदेशक आयुर्वेद यूनानी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष द्वारा आवंटित निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में बजट आवंटित किया जाता है जिसके सापेक्ष बजट का उपयोग किया जाता है तथा बचत का सर्मपण ससमय किया जाता है

लेखा शीर्षक निम्नवत है 2210–02–10–03–01, 2210–02–101–05–02, 2210–04–101– 04–01

12. **सहायिकी कार्यक्रमों की निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के व्योरे सम्मिलित है:–**

उपरोक्तानुसार बिन्दु 11 में वर्णित बजट आदि का उपयोग बचत अवशेष का उपयोग ससमय किया जाता हैं।

13. **अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ**

केवल अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर एल0टी0सी0, बोनस, शासन/निदेशक की स्वीकृति अनुसार दिया जाता है।

14. **किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध या उसके द्वारा धारित हो :–**

कार्यालय में फैक्स मशीन, कम्प्यूटर उपलब्ध नही है। इलेक्ट्रानिक सूचना सीधे उपलब्ध नहीं कराये जा सकते।

15. **सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है :–**

कार्यालय में पुस्तकालय व वाचन कक्ष की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

16. **जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम व अन्य विशिष्टियाँ:–**

निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के परिपत्र सं0 139/5010/05 सा0 दिनांकः 28 सितम्बर 2005 के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 (1) तथा प्रभारी अधिकारी/संयुक्त कार्यालय जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्रांक 1200 (23) शि0लि0/2005/05 दिनांकः 22 अक्टूबर 2005 के अन्तर्गत निर्देशानुसार निम्नलिखित अधिकारियों को जनसूचना अधिकारियों के अधिकृत किया गया है।

क्र0 सं0	नाम पद/चिकित्सालय	आवासीय पता	धारित पद
1	डा0 नील मणि राय प्रभारी चिकित्साधिकारी, रा0आयु0 चिकित्सालय 4 शैया अगया, सिद्धार्थनगर कार्यवाहक क्षे0आयु0यू0अधि0 सिद्धार्थनगर	ग्राम व पोस्ट उतरावल जनपद– सन्तकबीरनगर, खलीलाबाद, उ0प्र0 आवास–0551–2255251 मोबाइल– 9415853035	डिविजनल स्तरीय जन सूचना अधिकारी
2	डा0 राजाराम यादव प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 4 शैया देवरा बाजार, सिद्धार्थनगर	तेतरी बाजार, निकट जी0जी0 आई0सी0 सिद्धार्थनगर मो0 9452670678	जनपदस्तरीय सूचना अधिकारी

3	डा0 त्रिलोकी नाथ सिंह प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 15 शैया तेतरी बाजार, सि0नगर	तेतरी बाजार, सिद्धार्थनगर मो0 नं0 9415663826	सब डिविजनल स्तरीय सहायक जनसूचना अधिकारी

भवदीय

संलग्नकः–

1. आयुर्वेदिक यूनानी संचालित चिकित्सालयों की सूची।
2. कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण।

(डॉ0 नील मणि राय)
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी
सिद्धार्थनगर

सं0 दिनांकः

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर को उनके पत्रांकः 172/जनसूचना 09 दिनांकः 16 जुलाई 2009।
2. आयुक्त बस्ती मण्डल बस्ती।
3. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।

(डॉ0 नील मणि राय)
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी
सिद्धार्थनगर

जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत/संचालित राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की ब्लाक स्तरीय सूची

क्र0 सं0	चिकित्सालय	शैया/ बहिरंग	आयुर्वेद/ यूनानी	शुल्क/ निःशुल्क पंचायत भवन	तहसील	ब्लाक
1	तेतरी बाजार	15	आयु0	निःशुल्क	नौगढ़	नौगढ
2	मोहाना	04	,,	सशुल्क	,,	,,
3	मधुबेनिया	04	,,	,,	,,	,,
4	कटकी	04	,,	सरकारी	,,	,,
5	सोहास	04	,,	सरकारी	,,	उस्का बाजार
6	देवरा बाजार	04	,,	पंचायत भवन	,,	जोगिया
7	महला	04	,,	सरकारी	शोहरतगढ़	जोगिया
8	गुजरौलिया	04	,,	सरकारी	,,	शोहरतगढ़
9	अगया	04	,,	पंचायत भवन	,,	,,
10	पकड़ी	04	,,	सशुल्क	,,	,,
11	खुनुवा	04	,,	,,	,,	,,
12	परसा	04	,,	,,	,,	बढ़नी
13	ढेबरूआ	04	,,	,,	,,	,,
14	धनौरा बुजुर्ग	04	,,	,,	,,	,,
15	सिसवा बुजुर्ग	04	,,	पंचायत भवन	इटवा	इटवा
16	बैरवा	04	,,	,,	,,	खुनियॉव
17	बांसी	25	आयुर्वेदिक	सशुल्क	बांसी	बांसी
18	बरावनानकार	04	,,	,,	,,	,,
19	सेमरी	04	,,	,,	,,	,,
20	तेलौरा	04	,,	,,	,,	,,
21	बढ़या	04	,,	,,	,,	,,
22	अशोगवा	04	,,	,,	,,	,,
23	पथरा बाजार	बहिरंग	,,	सरकारी	,,	,,
24	कुड़जा	04	,,	पंचायत भवन	,,	खेसरहा
25	बनकेगांव	04	यूनानी	सशुल्क	बांसी	खेसरहा
26	भग्गोभार	04	आयुर्वेदिक	पंचायत भवन	डुमरियागंज	डुमरियागंज
27	गौराहीबुजुर्ग	04	,,	सशुल्क	,,	,,
28	सेमुआडीह	04	आयुर्वेदिक	,,	,,	,,

29	हल्लौर	04	,,	सशुल्क	,,	,,
30	डुमरियागंज	25	,,	सशुल्क	,,	,,
31	मल्हवार	04	,,	,,	,,	भनवापुर
32	रमवापुर जगतराम	04	,,	,,	,,	,,
33	सिकटा	04	,,	सरकारी	,,	,,
34	सोहना	बहिरंग	,,	सशुल्क	,,	,,
35	फत्तेपुर	04	,,	पंचायत भवन	,,	भनवापुर
36	जुड़ीकुईया	04	,,	सशुल्क	,,	,,
37	राजपुर	04	,,	सरकारी	,,	खुनियॉव
38	बिथरिया	बहिरंग	यूनानी	सरकारी	,,	डुमरियागंज
39	नादेपार	04	आयुर्वेदिक	पंचायत भवन	शोहरतगढ़	जोगिया
40	परसा पंडित	04	,,	सशुल्क	डुमरियागंज	

(डॉ0 नील मणि राय)
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी
सिद्धार्थनगर